

Form No. iii

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम पिण्डवाडा

श्री...शिवलाल कुमार पुत्र रवतीजी बनाम श्री...कन्हैयालाल पुत्र मानाजी
जन्म-खंजारा, वि. रामपुरा - मीठा ठिकाणी- मीठावासे सरपंच
.....वि. खंजारा, वि. रामपुरा.....

किस्म मुकदमा.....राजस्व वाद.....

अंतर्गत धारा.....183, 188..... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद सं.....10.....सन्.....2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>9.3.17</p>	<p>यह राजस्व वाद वादी/वादीमर्ण की ओर से प्रतिवादी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध धारा...<u>183</u>...<u>188 RTD</u>..... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत इस न्यायालय में हमारे समक्ष पेश किया गया है। वाद पत्र से न्यायालय प्रथम दृष्टिया सहमत होने से वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/प्रतिवादीगणों को सम्मन जारी हो। पत्रावली आयन्दा वास्ते तामीली रिपोर्ट एवं जवाबदावा हेतु दिनांक...<u>26.4.17</u>.....को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा</p>
<p><u>26.4.17</u></p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के सम्मन शामिल हुआ प्राप्त। उपस्थित पत्रावली किन्ना जमा। उपस्थित रिपोर्ट = 1 की ओर से कलेक्टर श्री अशोक शर्मा के अंशालपनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किन्ना</p>

4004
9.3.17

2017
10

रिपोर्ट हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

~~26.5.17. पचावली शायक~~
~~लोक अदालत - माय शायक~~
~~द्वारा - 2017 के माय शायक~~
~~पेश डी पक्षालन उपस्थित~~
~~पक्षालन के द्वारा जमा व~~
~~गैर खान दाद के साथ कुल~~
~~पर प्रतिवादी व कार्य का~~
~~सम्बन्ध मरुत नही इतरहासिक~~
~~ने भी अपन व्यवसाय में~~
~~बचाया कि विवाहित श्रम पर~~
~~वारी व प्रतिवादी का सम्बन्ध~~
~~नही है अतः कार्य का वाद~~
~~183, 188 शान 1955 परिकेवलीय~~
~~नही होगा खाली किया~~
~~जावा है पचावली फलित लक्ष्मण~~
~~होकर नरक व श्रमही~~
 सहायक कलेक्टर पिण्डवडा

2017/13/13

गुलन कृष्ण

परिकेवलीय